

दिनांक—16.09.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के कैमुर जिले के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:—

- श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
- श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव
- श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
- मो० वसीम अहमद, अपर सचिव
- श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
- श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, उप सचिव

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:—

#### I. Audit:--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कैमुर जिले द्वारा कुल 17 योजनाओं में से एक का भी ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। ACEO, जिला परिषद द्वारा बताया गया कि 07 योजना का ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया गया है। निदेश दिया गया कि दिनांक— 18.09.2026 तक तैयार किये गये 07 योजना का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लोक लेखा समिति की वर्ष 2018-19 की 02 कंडिका लंबित है। निदेश दिया गया कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

#### II. लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :—

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, 13वाँ वित्त आयोग एवं बी०आर०जी०एफ० से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा DDC एवं DPRD को निदेश दिया गया कि अपने जिले में कैम्प आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(ख) Post CFMS Period में कुल 152.17 करोड़ रुपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, 15वाँ वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, पंचायत

सरकार भवन एवं प्रतिनिधि भत्ता की UC सर्वाधिक लंबित है। DDC को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

### III. RGSA Capacity building & Training--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 2989 लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 807 प्रतिभागी द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है जिसमें से 454 लोगो का ही प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

### IV. मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 567 प्राप्त मामलों के विरुद्ध 525 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 27 मामले लंबित है। इस संबंध में DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। यदि योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित योजना को GPDP में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

### V. जन-शिकायत-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 08 मामलों के विरुद्ध 06 मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। DPRO को निदेश दिया गया कि जन-शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलो का गंभीरतापूर्वक जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

### VI. CPGRAM (Central level) की अद्यतन स्थिति-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 01 मामले लंबित है, जो 26 दिनों से अधिक लंबित है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें। यह भी पाया गया कि CPGRAM (Central level) में कई माह से लॉग-इन नहीं किया गया है। निदेश दिया कि सप्ताह में एक बार लॉग-इन कर मामलो का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

## **VII. पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम—**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जून एवं जुलाई 2026 में क्रमशः कुल 127 एवं 80 Aspiration के विरुद्ध 98 एवं 52 का निष्पादन किया गया है। जुलाई माह में BPRO द्वारा कुल 28 आवेदनो को Mapping ही नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि दो दिनों के भीतर सभी आवेदनो का Mapping करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी Aspiration का निष्पादन ससमय किया जाए। सभी BPRO को Aspiration एवं Grievance में अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा Aspiration के ससमय निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की होगी।

**(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)**

## **VIII. पंचायत सरकार भवन की समीक्षा:—**

**(क)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल निर्मित 63 पंचायत सरकार भवन के विरुद्ध 60 PSB का हस्तांतरण हो चुका है। दुर्गावती, मोहनिया एवं रातगढ़ प्रखंडों के 01-01 पंचायतों में PSB का हस्तांतरण शेष है। निदेश दिया कि सभी BPRO निर्माण स्थल का अविलंब भ्रमण कर जाँच करते हुए अद्यतन स्थिति से DDC एवं DPRO को अवगत कराए। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि नियमानुसार विधिवत् ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 60 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 01 में बैंक, 60 में RTPS केन्द्र, 57 में विद्युत कनेक्शन, 10 में डाकघर, 11 में NOFN एवं 24 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 60 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरुद्ध मात्र 32 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में 07 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालन:— उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)**

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज-1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 13 PSB के विरुद्ध सभी PSB का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 05 पंचायतों में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से 01 का निराकरण हुआ है। 02 पंचायतों में चिन्हित भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर है। 02 पंचायतों में स्थानीय विवाद है। 01 पंचायतों में PSB हेतु भूमि अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि DDC कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता एवं BPRO के साथ बैठक कर स्थानीय विवाद का निराकरण करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतों में चिन्हित भूमि पर न्यायालय में वाद दायर है, उन पंचायतों में वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)**

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 30 स्वीकृत पंचायतों के विरुद्ध TA द्वारा सभी 30 का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से 29 का व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुका है। साथ ही 27 पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। उल्लेखनीय है कि PSB का निर्माण कार्य BPRO की Sole Responsibility है।

**(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)**

#### **IX. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना-**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 146 पंचायतों के विरुद्ध मात्र 16 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमें से सभी 16 पंचायतों को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा सभी 16 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है। TA द्वारा तैयार सभी पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु एक में भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इस पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। निदेश दिया गया कि सभी स्वीकृत पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्राप्त करते हुए अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

**(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)**

#### **X. मुक्तिधाम, शवदाह-गृह, मृत्यु प्रमाण-पत्र की अद्यतन स्थिति:-**

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मात्र 177 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड

किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से जिला परिषद में 04, पंचायत समिति में 27 एवं ग्राम पंचायत में 48 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

#### XI. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगति:-

(क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:-

| 15वीं वित्त आयोग |                                 |              |
|------------------|---------------------------------|--------------|
| क्र०सं०          | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं | व्यय प्रतिशत |
| 01               | जिला परिषद                      | 22.26%       |
| 02               | पंचायत समिति                    | 49.29%       |
| 03               | ग्राम पंचायत                    | 80.38%       |

दुर्गावती प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी काफी कम है।

(ख) पिछले 05 वर्षों में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 464 के विरुद्ध 468, पंचायत समिति में 1345 के विरुद्ध 19 एवं ग्राम पंचायत में 7424 के विरुद्ध मात्र 288 योजना ही पूर्ण की गयी है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :-

1. दुर्गावती प्रखंड के BDO से DDC को कारण-पृच्छा करने का निदेश दिया।
2. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

#### XII. षष्ठम राज्य वित्त-ePanchayat Bihar Portal में ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थिति:-

(क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:-

| षष्ठम राज्य वित्त आयोग |
|------------------------|
|------------------------|

| त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं | व्यय प्रतिशत |
|---------------------------------|--------------|
| जिला परिषद्                     | 09.36%       |
| पंचायत समिति                    | 45.12%       |
| ग्राम पंचायत                    | 40.64%       |

कुदरा, अधौरा एवं भभुआ प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि काफी कम है। पृच्छा करने पर संबंधित BPRO द्वारा बताया गया कि राशि व्यय करने के उपरांत भी पोर्टल पर Show कर रहा है।

- (ख) चैनपुर एवं मोहनिया प्रखंड में 04-04, चांद एवं रामपुर प्रखंड में 02-02, दुर्गावती, कुदरा एवं रामगढ़ प्रखंड में 01-01 पंचायत ऐसे हैं, जहाँ व्यय की गयी राशि शून्य है।
- (ग) पिछले 05 वर्षों में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 424 के विरुद्ध 254, पंचायत समिति में 558 के विरुद्ध 151 एवं ग्राम पंचायत में 2930 के विरुद्ध मात्र 1393 योजना ही पूर्ण की गयी है।
- (घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 80-85% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही है।

#### उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :-

1. DPRO कुदरा, अधौरा एवं भभुआ प्रखंड के पंचायत समिति की समीक्षा कर इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि की विस्तृत विवरणी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि विभाग द्वारा इसकी समीक्षा कर समस्या का निदान किया जा सके।
2. BPRO निम्न व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

## XII. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना:-

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ चरण में अद्यतन स्थिति तक कैमुर जिले में कुल 3410 लक्ष्य के विरुद्ध 3348 सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है। 62 लाईट अभी भी अधिष्ठापित किया जाना शेष है।

(ख) चतुर्थ चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भभुआ, कुदरा एवं मोहनिया प्रखंडों के पंचायतों में B।।।

लगातार.....

Submit करने के उपरांत भी भुगतान किया गया प्रतिशत काफी कम है। पृच्छा करने पर संबंधित BPRO द्वारा बताया गया कि उक्त प्रखंडों में राशि शेष नहीं है। CMS App के माध्यम से प्राप्त शिकायत के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 14 मामलों के विरुद्ध 12 का निष्पादन हुआ है।

(ग) दिनांक— 01.01.2026 से 14.09.2026 तक पंचायत सचिवों के द्वारा किये गये Inspection के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल 91% सोलर लाईट ON पाई गयी है, जिसमें से भगवानपुर प्रखंड में ON पाई गई लाइटों का प्रतिशत कम है।

यह भी पाया गया कि कुल 11 प्रखंडों में से मात्र 05 प्रखंडों के BPRO द्वारा ही सोलर लाईट का निरीक्षण किया गया है। सभी प्रखंडों में निरीक्षण किये गये लाइटों की संख्या भी 20 से कम है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

**उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :-**

1. एजेंसी से समन्वय कर 07 दिनों के अंदर 100% लाईट का अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करें।
2. जिन पंचायतों में सोलर लाईट की राशि का व्यय अन्य योजनाओं में की गई है, BPRO उन पंचायतों के पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्रवाई हेतु DPRO को प्रतिवेदित करें। यदि एजेंसी द्वारा विधिवत Bill Submit किया गया है तो सत्यापन एवं GISR पूर्ण कर अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें।
3. पंचायत सचिव के द्वारा भगवानपुर प्रखंड के Inspection में OFF पाई गयी लाइटों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

सोलर लाईट के निरीक्षण के संबंध में कैमूर जिले के सभी BPRO से स्पष्टीकरण किया जाए।

**(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)**

**XIII.** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक-9164 दिनांक- 17.08.2023 द्वारा निरीक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश संसूचित है। निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में DDC, DPRO एवं सभी BPRO पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)**

**XIV.** समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि पंचायती राज विभाग के जिला/पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मियों द्वारा नियमित रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विस्तृत रूप में दिशा-निर्देश संसूचित कर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज

करना अनिवार्य किया गया है। सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही सभी कर्मियों का वेतन/मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

**XV. लंबित न्यायिक वाद :-**

कैमुर जिले में कुल 03 CWJC लंबित है। निदेश दिया गया कि MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रशाखा-9)

**XVI. e- GRAM KACHAHARI :-**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखंड स्तर पर प्रति ग्राम पंचायत पंजीकृत एवं निष्पादित मामलों की संख्या काफी कम है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में शून्य पंजीकृत एवं निष्पादित ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालन:- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

**XVII.** उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बिहार के 2052 पंचायतों में Computer System उपलब्ध कराया गया है। कैमुर जिले में भी 32 पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी Computer System की सही तरीके से जाँच कर Inspection Report यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
21/9/26  
(मनोज कुमार)  
सचिव

13467 पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना  
ज्ञापांक:-14प०/कार्यवाही-02-02/2026/...../पं०रा० पटना, दिनांक 21/9/2026  
प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, कैमुर/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कैमुर  
/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमुर/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-अपर  
जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
21/09/26  
(अखिलेश कुमार सिंह)  
विशेष कार्य पदाधिकारी

13467  
ज्ञापांक:—14प०/कार्यवाही—02—02/2026/...../पं०रा० पटना, दिनांक 22/9/2026  
प्रतिलिपि:—सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर  
सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी  
प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई  
हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार सिंह)  
विशेष कार्य पदाधिकारी

13467  
ज्ञापांक:—14प०/कार्यवाही—02—02/2026/...../पं०रा० पटना, दिनांक 22/9/2026  
प्रतिलिपि:—आईटीमैनेजर, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने  
हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार सिंह)  
विशेष कार्य पदाधिकारी